न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, महराजगंज।

वाद सं0- /2008 अन्तर्गत धारा-143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम बावत मौजा जंगल दुधई उर्फ चेहरी, तप्पा कटहरा परगना हवेली, तहसील सदर, जनपद महराजगंज।

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट बनाम राजेन्दर।

आदेश

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी अभय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 केशव चन्द्र श्रीवास्तव, मकान नं0-132 बी.एच. अशोक नगर बशारतपुर शहर गोरखपुर द्वारा दि0 15-01-2008 को वाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-143उ0प्र0ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत करते हुए याचना किया गया है कि आ0नं0 1561मि. रकबा0.713हे0व आ0नं0 1562 रकबा 0.405हे0स्थित ग्राम जं0दुधई उर्फ चेहरी तप्पा कटहरा परगना हवेली जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक- 10-12-07को तहरीर कराया गया है,वाद तहरीर राजस्व अभिलेख में क्रेता (वादी) का नाम दर्ज हो चुका है, जिसमें शिक्षण संस्थान चलाने हेतु भवन का निर्माण किया जा रहा है, प्रश्नगत अराजीयात का कृषि में प्रयोग समाप्त हो चुका है अतः प्रश्नगत आराजी को अभिलेख में आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तहसीलदार सदर को जांच हेतु भेजी गयी वाद जांच तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक- 18-01-2008 न्यायालय पर प्रस्तुत हुआ। मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्यों व तहसीलदार की आख्या का सम्यक रूप से अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आराजी नं0- 1561मि रकबा 0.713हे0 व अराजी नं0 1562/4032 रकबा 0.405हे0 स्थित ग्राम जंगल दुधई उर्फ चेहरी शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट के नाम अंकित अभिलेख है। खसरा सन् 1415 फ0 में प्रश्नगत आराजी आबादी के रूप में दर्ज है। तहसीलदार की आख्या है कि प्रश्नगत अराजी में कृषि कार्य नहीं होता है। बल्कि शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से अंकित अभिलेख है, तहसीलदार सदर, द्वारा अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में वादी द्वारा शिक्षण संस्थान चलाने हेतु भवन का निर्माण किया जा रहा है तत्क्रम में तहसीलदार सदर, द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति भी की गयी है। ऐसी स्थिति में आराजी नं0 1561 मि. रकबा 713हे0 व आराजी नं0 1562/4032 रकबा 0.405 हे0 स्थित ग्राम जंगल दुधई उर्फ चेहरी गैर कृषि प्रयोज्य घोषित किया जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागारित हो।

18/01/08

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, सदर
महराजगंज।